24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेश की है। इसके तहत नवीकरणीय और थर्मल ऊर्जा को साथ मिलाकर आपूर्ति की जाएगी। कुल बिजली का 51 फीसद हिस्सा थर्मल कंपनियां देंगी, बाकी की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से की जाएगी।

बिना खटास पैदा किए शांति से हो मंदिर निर्माण : मोदी

नीलू रंजन, नई दिल्ली

नरेंद्र मोदी

राम की खातिर

- ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने दिए सुझाव
- अब कोई शिलान्यास नहीं, केवल भूमिपूजन

चंपत राय सभी फाइल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विवादों से बचने और शांतिपूर्वक मंदिर निर्माण का काम पूरा करने का सुझाव दिया है। गुरुवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है। वहीं ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के पहले रामलला को मौजूदा टेंट से हटाकर दूसरी जगह विराजमान करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बारे में बताते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट को ऐसी बातें नहीं बोलने का सुझाव दिया है जो समाज में खटास पैदा करे। उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यह समाज में कड़वाहट और खटास पैदा करने का समय नहीं है और ऐसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे किसी का दिल न टूटे। प्रधानमंत्री के अयोध्या आने के बारे में पूछे जाने पर चंपत राय ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है। ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अनौपचारिक रूप से पीएम को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम या तारीख तय नहीं है।

चंपत राय के अनुसार ट्रस्ट के सदस्य इस मुद्दे पर एकमत हैं कि मंदिर निर्माण से पहले रामलला को टेंट से हटाकर 67 एकड़ की ट्रस्ट की जमीन में ही दूसरी जगह विराजमान किया जाए। यह काम दो अप्रैल को रामनवमी के पहले पूरा करने का उद्देश्य है। नई जगह स्थायी जरूर होगी, लेकिन उसे भव्य बनाया जाएगा। जिसमें सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रामलला के नए अस्थायी निवास की रूपरेखा तय करने के लिए ट्रस्ट के सदस्य व तीर्थ क्षेत्र के विकास व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या जाएंगे।

शायद अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर परिसर में दानदाताओं के नाम की पट्टिकाओं की कोई जगह नहीं होगी। कई लोगों द्वारा करोड़ों रुपये के दान की घोषणाओं के बारे में पूछे जाने पर चंपत राय ने कहा, 'देने वाला घोषणा क्यों कर रहा है। घोषणा के पीछे दान की वृति है या नाम की वृति है। मेरा नाम छपे यह महत्वपूर्ण है या भगवान का काम जल्दी संपन्न हो यह महत्वपूर्ण है। घोषणा करने वाले खुद सोचें।'

चंपत राय ने यह भी साफ कर दिया कि मंदिर निर्माण के लिए नए सिरे से शिलान्यास नहीं होगा। 1989 में कामेश्वर चौपाल के हाथों इसका शिलान्यास हो चुका है। चूंकि शिलान्यास के बाद 31 साल का फासला हो चुका है इसीलिए मंदिर निर्माण का काम भूमि पूजन के साथ शुरू किया जाएगा। विहिप नेता और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ कर दिया कि भूमि पूजन का कार्यक्रम भी दो अप्रैल को रामनवमी के दिन नहीं होगा। दो अप्रैल की तारीख को अव्यवहारिक बताते हुए उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन अयोध्या में वर्षों से 15-20 लाख श्रद्धालु आते हैं। उनके अनुसार ट्रस्ट की अगली बैठक में भूमि पूजन की तारीख तय की जा सकती है।

चंपत राय यह भी संकेत दिया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रस्तावित राम मंदिर के नक्शे में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनके अनुसार सभी साधु-संत पुराने नक्शे के आधार पर मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, लेकिन इस पर अभी ट्रस्ट की मुहर लगनी बाकी है। पुराने नक्शे के अनुसार मंदिर निर्माण का काम दो-तीन साल में पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके लिए 70 फीसद पत्थर तराशने का काम पूरा हो चुका है।

बेतुके आधार पर वकीलों के हड़ताल पर जाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान के स्कूल में बम धमाका, नेपाल में भूकंप जैसी बेतुकी वजहों से उत्तराखंड के तीन जिलों में पिछले 35 से भी अधिक साल से वकीलों के हर शनिवार को हड़ताल पर जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में तब आया जब वह उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। हाई कोर्ट ने हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर के कई हिस्सों और देहरादून में प्रत्येक शनिवार को वकीलों की हड़ताल या अदालती कार्य के बहिष्कार को गैरकानूनी ठहराया था। 25 सितंबर, 2019 के इस फैसले में हाई कोर्ट ने विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट का हवाला दिया था। इसमें वकीलों की हड़ताल की वजह से हुए कार्यदिवसों के नुकसान के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। आयोग की राय थी कि इससे अदालतों के कार्यों पर असर पड़ता है और लंबित मामलों की संख्या में इजाफा होता है। हाई कोर्ट की ओर से विधि आयोग को भेजे गए उत्तराखंड के 2012-2016 के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान देहरादून जिले में वकील 455 दिन

पाकिस्तान के स्कूल में धमाका और नेपाल में भूकंप जैसे बनाते हैं वहाने

सुप्रीम कोर्ट फाइल

और हरिद्वार जिले में 515 दिन हड़ताल पर थे। विधि आयोग की रिपोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट का कहना था कि वकीलों की हड़ताल या कार्य बहिष्कार की वजह स्थानीय, राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे तक थे जिनका अदालती कार्यों से कोई लेना-देना नहीं था। शायद ही कभी उनके कारण न्यायोचित रहे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, 'कुछ का उल्लेख करें तो उनमें पाकिस्तानी स्कूल में बम विस्फोट, श्रीलंका के संविधान में संशोधन, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद, वकील पर हमला या हत्या, नेपाल में भूकंप, वकीलों के नजदीकी संबंधियों की मृत्यु पर शोक, किसी अन्य राज्य की बार एसोसिएशन के वकीलों के प्रति एकजुटता दर्शाना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलन को नैतिक समर्थन, भारी बारिश और यहां तक कि कवि सम्मेलन भी शामिल हैं।'

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, 'यह देश में हर जगह हो रहा है। अवमानना की स्वतः कार्यवाही शुरू करने के लिए यह सही मामला है। न्यायाधीशों ने कहा, बार एसोसिएशन कैसे कह सकती है कि वे हड़ताल जारी रखेंगे। चीजें धराशायी हो गई हैं। आदेश (हाई कोर्ट का) पूरी तरह न्यायोचित है। हम ऐसी चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। हर कोई हड़ताल पर जा रहा है। अब हमें बहुत सख्त होना चाहिए।' इसके बाद शीर्ष अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।

उद्धव ठाकरे बोले, पूरे देश में लागू नहीं होने जा रहा एनआरसी

प्रथम पृष्ठ से आगे

उद्धव ने बताया कि पीएम ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी नहीं होने जा रहा है। केवल असम में एनआरसी है और इसकी वजह सबको मालूम है। एनपीआर लागू करने पर कांग्रेस-एनसीपी के एतराज से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, हर दस साल में जनगणना होती है और एनपीआर इसका हिस्सा है। एनपीआर किसी को घर से बाहर निकालने के लिए नहीं है। हालांकि सहयोगी दलों की चिंता के मद्देनजर उद्धव ने यह जरूर कहा, यदि एनपीआर में खतरनाक पहलू सामने आएंगे तो फिर विवाद हो सकता है और तब वे इसे देखेंगे। सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर उनका यह रुख कांग्रेस-एनसीपी से मेल नहीं खा रहा तो क्या गठबंधन में समस्या नहीं आएगी, इस सवाल पर उद्धव ने कहा, वे अपनी समझ के हिसाब से बात कह रहे हैं कि हमारे किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं जाएगा। जब ऐसी बात नहीं है तो फिर सीएए विरोधी आंदोलन क्यों हो रहा है, शिवसेना नेता ने कहा, जिन लोगों ने आंदोलन भड़काया है उन्हें यह समझने की जरूरत है। आंदोलन किन लोगों ने भड़काया है, इस सवाल को उद्धव बोले वे दिल्ली में नहीं रहते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सरकार आगे बढ़ रही है और उनकी सरकार बिल्कुल पांच साल चलेगी।

भारतीय शिक्षकों के लिए खुलेगा विदेश का रास्ता

पहल ▶ ज्ञान कार्यक्रम के अगले चरण का जल्द होगा आगाज

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तैयारी में जुटा

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- अभी इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बुलाया जाता है भारत

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान) कार्यक्रम के तहत भारतीय शिक्षकों को भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भेजने का फैसला किया है। ज्ञान कार्यक्रम के अगले चरण को अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ विदेशी शिक्षकों को भारत बुलाया जाता है। विदेशी शिक्षक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक तय समय तक पढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम के तहत पिछले साल 800 से ज्यादा विदेशी शिक्षक भारत आए।

ज्ञान कार्यक्रम के अगले चरण के तहत विदेशी संस्थानों में कुछ समय के लिए पढ़ाने के इच्छुक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। हालांकि, भारतीय शिक्षकों को सिर्फ उन्हीं देशों या संस्थानों में भेजा जाएगा, जहां मौजूदा समय में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और वहां के संस्थानों से मांग भी आई है। इस दृष्टि से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) आदि के शिक्षकों की मांग सबसे ज्यादा है।

सरकार का मानना है कि यदि ज्ञान कार्यक्रम का नया चरण सफल रहा, तो विदेश में भारतीय शिक्षकों के लिए नई राह खुलेगी। वे विदेशी संस्थानों के अध्ययन के तरीके (स्टडी पैटर्न) को अच्छे से समझ सकेंगे, जो बाद में उनके संस्थानों को उसी स्तर पर खड़ा करने में मददगार साबित होगा।

पहले किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान को विदेशी शिक्षकों को बुलाने अथवा अपने शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मंत्रालय स्तर पर अनुमति लेनी होती थी। इसमें संस्थानों का काफी समय खराब होता था। साथ ही उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था। ज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत के बाद विदेशी शिक्षकों को बुलाने की प्रक्रिया आसान हो गई। इच्छुक संस्थानों को इसके लिए अब सिर्फ ऑनलाइन अनुरोध करना होता है जो सीधे संबंधित संस्थान तक को भेज दिया जाता है। बाद में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर उनका कार्यक्रम तय हो जाता है। हालांकि, भारतीय शिक्षकों के सामने अध्यापन कार्य के लिए विदेश जाने की प्रक्रिया में पेचीदगी बरकरार है, जिसका ज्ञान कार्यक्रम के नए चरण के जरिये निराकरण किया जाएगा। यूजीसी से जुड़े अधिकारियों की मानें तो मंत्रालय ने यह सारी कवायद भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय रैंकिंग में पहुंचाने के लिए शुरू की है।

कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक की मांग वाली याचिका पर रिपोर्ट देने को कहा है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय और सीपीसीबी से समस्या को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश पत्रकार शैलेष सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिया है।

सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसे देखते हुए उन्होंने रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।

शैलेष सिंह ने अपनी याचिका में कीटनाशकों के बुरे प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी के अध्ययन और विभिन्न आलेखों का भी हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ मंडल में लगभग सात लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर जमीन में बदल गई है।

बेदी के फैसले के खिलाफ सीएम की याचिका खारिज

चेन्नई, एएनआइ : मद्रास हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल किरन बेदी और केंद्र के खिलाफ दायर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल की जगह नकदी देने के फैसले के बाद हाई कोर्ट पहुंचे थे।

जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को सहमति दी है और वह उनके फैसले को लागू करने के लिए बाध्य हैं। मुख्यमंत्री को यह जानना चाहिए।'

किरन बेदी ने फैसले के बाद मद्रास हाई कोर्ट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, 'हम मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस सीवी कार्तिकेयन को धन्यवाद देते हैं। पुडुचेरी प्रशासन को मुफ्त चावल के लिए सीधे खाते में पैसा हस्तांतरित करने संबंधी केंद्र सरकार के निर्देश को हाई कोर्ट ने बनाए रखा। पूर्व में इसकी खरीद होती थी, भंडारण, जांच, वितरण आदि किया जाता था।'ज्ञात हो, किरन बेदी और मुख्यमंत्री के बीच विवाद काफी दिनों से चल रहा था।

स्वास्थ्य मंत्री बोले, उपराज्यपाल के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे: पुडुचेरी स्वास्थ्य एवं पर्यटन मंत्री मलादि कृष्ण राव ने कहा कि

- पुडुचेरी में लोगों को मुफ्त चावल की जगह कार्ड धारकों को धन हस्तांतरित करने के फैसले को दी थी चुनौती
- राष्ट्रपति के फैसले को लागू करने के लिए बाध्य हैं उपराज्यपाल : हाई कोर्ट

किरण बेदी फाइल

उपराज्यपाल किरन बेदी के खिलाफ वह कानूनी कदम उठाएंगे। मंत्री कृष्ण राव ने कहा कि 2016 में प्रभार ग्रहण करने के बाद से उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार द्वारा तय की गई विकास योजनाओं को लागू करने में बाधा डाल रही हैं। यहां संवाददाताओं से बातचीत में राव ने कहा कि वह न केवल अपने, बल्कि अन्य सभी विभागों की विकास एवं कल्याण योजनाओं को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए बेदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

राजनाथ ने नए सेना मुख्यालय की रखी नींव

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहां कैंट क्षेत्र में सेना मुख्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत को शक्तिशाली देश के रूप में देख रही है।

उगते सूर्य के रूप में डिजाइन किया गया बहुमंजिला थलसेना भवन लगभग 39 एकड़ में फैला हुआ है। राजनाथ के मुताबिक यह भवन देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले जांबाज हीरो को समर्पित है। अब हम कोई कमजोर देश नहीं हैं। दुनिया की महाशक्तियों के बीच हमारी साख है। सेना मुख्यालय अभी लुटियंस दिल्ली में रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में स्थित है। रक्षामंत्री ने बताया कि नए भवन में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की अध्यक्षता वाला सैन्य मामलों को नया विभाग भी होगा। रक्षामंत्री ने नए भवन के लिए भूमि पूजन भी किया। इसकी शुरुआत प्रार्थनाओं से हुई। देश के चार अलग-अलग धर्मों के गुरुओं ने धार्मिक ग्रंथों की पंक्तियां पढ़ीं और यहां काम के लिए आने वाले लोगों की खुशहाली की कामना की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली कैंट में नए थल सेना भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद थे। एएनआइ

रक्षा मंत्री ने कहा, जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उनकी यह इच्छा नहीं थी कि लोग उनके नाम को जानें, बल्कि उनकी कामना यह थी कि उनका देश सक्षम और शक्तिशाली बने। ऐसे ही सैनिकों की वजह से आज भारत एक शक्तिशाली देश है। इस अवसर पर सेना प्रमुख एमएम नरवाने भी मौजूद थे। नरवाने ने कहा, नया भवन बनने में तीन से चार साल लगेंगे। पूरी परियोजना में सात सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। बाद में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए भवन में 1700 अधिकारी (सैन्य और सिविलियन) और 1300 कर्मचारी काम करेंगे। नया भवन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसमें कुल 7.5 लाख वर्ग मीटर का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक सेना के विभिन्न प्रतिष्ठानों के बीच आवागमन के लिए मौजूदा समय करीब तीन हजार से चार हजार वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ एक ही जगह होने के कारण इससे मुक्ति मिल जाएगी। नए भवन में चार हजार से अधिक कारें पार्क की जा सकेंगी।

भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा पीएम के सलाहकार नियुक्त

भास्कर खुल्बे फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव पद के रैंक और स्केल पर दोनों अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों अधिकारी 1983 बैच के हैं। खुल्बे बंगाल कैडर और सिन्हा बिहार कैडर के हैं। सिन्हा पिछले साल ग्रामीण विकास सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे जबकि खुल्बे प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं। ये नियुक्तियां शुरुआती तौर पर दो साल के लिए या अगले आदेश तक संविदा के आधार पर की गई हैं।

किसानों को जरूरत के मुताबिक मिलेगा फसल बीमा

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

बड़ा फैसला

- पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान नहीं ले रहे थे फसल बीमा
- ओलावृष्टि प्रभावित इन राज्यों के किसानों को मिल सकेगा लाभ

देशभर के किसानों के लिए एक समान फसल बीमा देने के साथ-साथ सरकार ने अब कस्टमाइज फसल बीमा देने का भी फैसला किया है। यानी जिस क्षेत्र के किसानों को जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से फसल बीमा देने का प्रावधान किया गया है। इसकी शुरुआत आगामी खरीफ सीजन से कर दी जाएगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कस्टमाइज फसल बीमा योजना का पहला चरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। हालांकि इसका लाभ कोई भी राज्य उठा सकता है।

कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ डॉक्टर आशीष भूटानी ने जागरण से बातचीत में बताया 'कस्टमाइज फसल बीमा योजना देश के सभी राज्यों के लिए हैं। लेकिन इसका फायदा उन राज्यों के किसानों को ज्यादा होगा, जहां पहले वाली फसल बीमा योजना कारगर साबित नहीं हो रही है। खासतौर पर सिंचित राज्य इसे लागू करने से बच रहे थे। इनमें पंजाब, हरियाणा का बड़ा हिस्सा और समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहां प्राकृतिक आपदाएं आमतौर पर नहीं आती हैं।' ऐसे में यहां के किसान इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। डॉक्टर भूटानी ने बताया सिंगल आपदा के लिए फसल बीमा लेने पर प्रीमियम और घट जाएगा, जिससे राज्यों के खजाने पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य किसी और आपदा के लिए इसका चयन कर सकते हैं।

इन राज्यों में ओलावृष्टि सबसे बड़ी समस्या है, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को बहुत नुकसान होता है। यहां के किसानों की मांग भी इसी तरह की थी जिसे योजना में पूरा करने का प्रयास किया गया है। दूसरे राज्य में किसी अन्य आपदा को आधार बनाकर बीमा कराया जा सकता है। डॉक्टर भूटानी ने योजना में तब्दीली का विस्तार से जिक्र करते हुए बताया, 'देश के सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिलों के किसानों के लिए एक और योजना तैयार की जा रही है, जिससे वहां के किसानों के हित संरक्षित किए जा सकेंगे।'

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों में किए गए संशोधनों का असर किसी भी तरह किसानों के प्रीमियम पर नहीं पड़ेगा। यानी उनके प्रीमियम की दरें नहीं बढ़ेंगी। बीमा योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिहाज से कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके लिए कुल 55 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पिछले तीन साल में कई तरह की गड़बड़ियां की गई हैं। राज्य उसे रोकने में नाकाम रहे, जिससे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। केंद्र ने किसी भी तरह अपनी वित्तीय हिस्सेदारी को कम नहीं किया है।

डॉक्टर आशीष भूटानी ने बताया कि फसल बीमा की खामियों को दूर करने के लिहाज से खेती वाली जमीनों को डिजिटल सिस्टम से लिंक कर दिया गया है। क्षति के आकलन के लिए फसल कटाई प्रणाली में निर्धारित समय से विलंब होने पर स्मार्ट सिस्टम को अंतिम मान लिया जाएगा।

'आत्मा गांव की, सुविधाएं शहरी की'

नीति आयोग की पांच हजार करोड़ की योजना को मिली मंजूरी, मिशन को रफ्तार देने पर बल, सभी राज्यों से आगे आने की अपील

ररबन मिशन में बनेंगे एक हजार अतिरिक्त क्लस्टर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

300 चयनित क्लस्टरों में से 240 में शुरु हुए हैं कार्य

1843 करोड़ रुपये दिए हैं केंद्र ने विकास कार्यों के लिए

प्रतीकात्मक फोटो

गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से लैस करने वाली ररबन योजना का सरकार विस्तार करेगी, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में कुल एक हजार से अधिक क्लस्टर बनाने का फैसला किया गया है। योजना के संचालन के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य गांवों के पलायन को रोकना है। इसके तहत गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। नीति आयोग की इस योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सभी राज्यों से इसमें आगे आकर हिस्सा लेने की अपील की गई है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन (एसपीएमआरएम) की चार साल बाद पूरी समीक्षा की गई। मिशन के तहत अब तक तीन सौ क्लस्टर चयनित किए गए हैं। ज्यादातर में विकास की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उनकी सफलता के बाद ही इसे और आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर कृषि रोजगार के उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और अन्य सामाजिक-आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत मिल रहे हैं। मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन कर इनमें व्यापक बदलाव लाना है। इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

योजना में चयनित क्लस्टरों में से केवल 240 में कार्य चालू हो सका है। मिशन की धीमी गति को रफ्तार देने का फैसला किया गया है। यह मिशन पूरी तरह केंद्र, राज्य और सीएसआर की वित्तीय सहायता से चल रहा है। चल रहे क्लस्टरों के विकास के लिए अब तक केंद्र की ओर से कुल 1843 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्य व अन्य कारपोरेट सेक्टर की मदद से कुल 28 हजार से अधिक धनराशि से योजनाएं चलाई जा रही हैं।

ररबन क्लस्टर के गांवों के हर घर को चौबीस घंटे सातों दिन नल से पानी की आपूर्ति, घरेलू कचरा प्रबंधन, क्लस्टर के गांवों में और गांव के भीतर की सड़कों का प्रावधान, हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं शामिल हैं। क्लस्टर में आर्थिक सुविधाओं में कृषि सेवाओं एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभिन्न विषयगत क्षेत्र, पर्यटन और लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास को शामिल किया गया है।

आंध्र में सतर्कता विभाग ने 405 करोड़ रुपये के घोटाले का पता लगाया

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) में 2014-19 के बीच 404.86 करोड़ रुपये के घोटाले का पता लगाया है। उस समय राज्य में तेलुगु देसम पार्टी की सरकार थी। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमा चिकित्सा सेवा (आइएमएस) के तीन निदेशकों-बी रवि कुमार, सीके रमेश कुमार और जी विजय कुमार को ईएसआइसी योजना लागू करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का दोषी पाया गया है। पांच संयुक्त निदेशकों और कई अन्य कर्मियों को भी घोटाले का दोषी पाया है।

राज्य के श्रम मंत्री जी जयराम ने कहा कि सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने में हमें कोई हिचक नहीं होगी।

कह के रहेंगे माधव जोशी